The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2227]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 26, 2010/कार्तिक 4, 1932

No. 2227]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2010/KARTIKA 4, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिस्चना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2642(अ).— मांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की घारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मांडागारण, विकास और विनियामक प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन उसे सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए केन्द्रीय सरकार 26 अक्तूबर, 2010 से मांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण का गठन करती है।

[फा. सं. टीएफसी/10/2008]

नवीन प्रकाश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2010

S.O. 2642(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Central Government hereby constitute the Warehousing Development and Regulatory Authority with effect from the 26th October, 2010 to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it by or under the said Act.

[F. No. TFC/10/2008]

NAVEEN PRAKASH, Jt. Secy.